मंडल की 3 मे 2019 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	1	मंडल की 25 मार्च, 2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 25.3.2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का सुधारों/संशोधनों के साथ पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	2	लॉट सं. (i) पी/6462 (ii) जी/2580 (iii) बीबी/2615, बीबी/2907, बीबी/2907ए, (iv) एन/203 (v) एबी/0806ए (vi) जीजी/04925 के लिए बिक्री घाटा माफ करने हेतु प्रस्ताव.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
3.	3	मध्य रेलवे के अन्तर्गत हाजी बंदर स्थित भूमि वडाला स्थित मुंपोट्र भूमि के साथ बदलना.	वापस लिया गया.	रेलवे
4.	4	निविदा सं. इ. 121/2018- मुंपोट्र सम्पदा के कॉटन डिपो में पे एण्ड पार्क (फेज-II) का प्रचालन एवं प्रबंधन. - अधिकतम प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
5.	5	लायसंस आधार पर ठाकरसी हाऊस का एमएमआरसीएल को आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
6.	6	वित्तीय वर्ष 2018-19 के अपर्याप्त बजट प्रावधानों के कारण सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए क्रमश: नामित अस्पतालों/रोग निदान केन्द्रों तथा वैद्यकीय इलाज के लिए भुगतान हेतु चिकित्सा विभाग जीएलसी कोड सं.752 और कोड 755 के अन्तर्गत 31.3.2019 तक हुए व्यय के लिए कार्योत्तर मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है.	चिकित्सा
7.	7	संविदा आधार पर नियुक्त सर्वश्री पदमाकर जुईकर, विशेष कार्य अधिकारी (वरिष्ठ) तथा लक्ष्मण जाधव, विशेष कार्य अधिकारी (कनिष्ठ) के पारिश्रमिक में वृद्धि.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 में प्रस्तुत नुसार सर्वश्री पदमाकर गोसावी जुईकर तथा लक्ष्मण गणपत जाधव के समेकित पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	मानव संसाधन
8.	8	मुंबई पोर्ट के दरमानों में व्यापक सुधार के लिए प्रस्ताव.	टिप्पणी के परिच्छेद 1 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
9.	9	भंडार भवन के तीसरे माले पर कोचिन शिपयार्ड लि. के लिए कार्यालय स्थान का आबंटन.	उपरोल्लिखित संशोधनों के साथ टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
10.	10	पी. डिमेलो रोड पर लालद्वार के पास का पादचारी पुल गिराना.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
11.	11	संसदीय आम चुनाव, 2019 के कारण 29 अप्रैल, 2019 को अवकाश की घोषणा.	गोदी उप नियम सं. 118 के उद्देश्य के लिए 29 अप्रैल, 2019 के दिन को बंदी अवकाश के रुप में मानने को मंजूरी प्रदान की जाती है.	सामान्य प्रशासन
12.	12	मंडल की क्रमश: 20 फरवरी, 2019 और 7 मार्च, 2019 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट.	मंडल की क्रमश: 20.2.2019 तथा 7.3.2019 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्टों को अनुमोदित किया जाता है, समीक्षा की जाती है और अभिलिखित किया जाता है.	सामान्य प्रशासन
13.	13	महापत्तनों के लिए बीमा बिचौलिया की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
14.	14	180 दिनों तक की अवधि के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में आयात जिप्सम/एमओपी और इस प्रकार के अन्य थोक माल के लिए भंडारण सुविधायें.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
15.	15	सरकारी निजी क्षेत्र सहभाग पर 600 बिस्तरों वाला उच्च विशिष्ठतायुक्त अस्पताल की स्थापना साथ में चिकित्सा कॉलेज विकसित करने और अस्पताल को आगे विस्तार करने के लिए एक विकल्प होगा.	(i) 6.5.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में विस्तार हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना. (ii) 6.5.2019 के बाद और अधिक विस्तार प्रदान नहीं करना. (iii) बोलीकर्ता न्यासियों को पॉवरपाइंट प्रस्तुती करें. (iv) न्यासी उच्च विशिष्ठतायुक्त सेवायें प्रदान कर रहे अस्पतालों की सक्षमता की स्वयं की संतुष्टि के लिए सहभागी बोलीकर्ताओं के अस्पतालों का दौरा करें (v) उसके बाद तकनीकी बोली खोलने के बारे में मंडल निर्णय करें.	चिकित्सा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
16.	16	मुंबई पोर्ट में मरीना का विकास.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
17	17	पांचवे तेल घाट परियोजना के दो पॅकेजों के संबंध में अधिक्य तथा अतिरिक्त मदों और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता, इंजिनियर्स इण्डिया लि. के अतिरिक्त कार्य को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
18.	18	आरएफक्यू स. सीई.एफएसआरयु/2019 - लायसंस आधार पर मुंबई हार्बर में तैरते भंडारण तथा पुर्नगॅसीकरण इकाई की स्थापना. -क्षेत्र आबंटित करने के लिए आरक्षित किमत तय करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 की भूमि आबंटन समिति की सिफारिशें अनुमोदित की जाती है.	स्थापत्य
19.	19	निविदा सं. ई. 10ए/2017- इंदिरा गोदी, मुंबई के वर्तमान मुंबई अन्तरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का आधुनिकीकरण. -विटीएस निर्माण गिराना.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) टिप्पणी के परिच्छेद 7 (ए) का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव, और (ii) 16.36 लाख रुपये की हानि को माफ करना.	स्थापत्य
20.	20	दो वर्षों की अवधि के लिए सामान्य कार्य दक्षिण प्रभाग और बीडीएलबी के क्षेत्राधिकार में मुंपोट्र आवासीय वसाहतों, कार्यालयों, गोदामों, वेअरहाउसों, यार्डों और अस्पताल के लिए जल आपूर्ति वितरण प्रणाली का प्रचालन तथा रखरखाव.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

C6/Pro 3 May 2019/actiontaken20190503